**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**रिट याचिका संख्या 2041/2003**

| | | |
|---|---|---|
| याचिकाकर्ता | : | श्रीमती द्रोपती कैवर्त्य, पति रामदुलारे कैवर्त्य, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी – गाँव और डाकघर–जूना, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.) |
| | | विरुद्ध |
| उत्तरवादीगण | : | 1) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, विधि और विधायी निर्वाचन विभाग, डी. के. एस. रायपुर (छ०ग०)।<br>2) कलेक्टर, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ०ग०)<br>3) जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर (छ०ग०)। |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत रिट याचिका**

**प्रकाशनार्थ अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**रिट याचिका संख्या 2641/2003**

**दिनांक 10.10.2006**

| | | |
|---|---|---|
| उपस्थिति: | : | याचिकाकर्ता के लिए श्री अनूप मजूमदार, अधिवक्ता। |
| | : | राज्य/उत्तरवादीगण के लिए श्री सुशील दुबे, शासकीय अधिवक्ता |

तर्कों का श्रवण किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश निम्नानुसार पारित किया :

**मौखिक आदेश**
**(10.10.2006)**

**सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश:**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने कलेक्टर द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर की हैसियत से पारित आदेश दिनांक 09.7.2003 (अनुलग्नक पी–5) को रद्द करने की प्रार्थना की है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि निर्वाचन के दौरान सहायक ग्रेड–III (निम्न श्रेणी लिपिक) के अस्थायी पद पर नियुक्ति के लिए उसका आवेदन, जो दिनांक 01.2.2003 से 31.2.2003 तक और पुनः दिनांक 30.6.2003 तक की अवधि के लिए था, निरस्त कर दिया गया था, उन्होंने यह भी सूचित किया था कि याचिकाकर्ता के पास उक्त पद के लिए अपेक्षित अनुभव नहीं है और वर्ष 1995 में

उसकी नियुक्ति के आधार पर उसके अनुभव के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि वर्ष 1995 में उसकी नियुक्ति ही शासन के निर्देशों के अनुसार नहीं थी।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता निर्धन और बेरोजगार महिला है और निर्वाचन के दौरान काम करने से प्राप्त उसके अनुभव के आधार पर, उसे निर्वाचन के उक्त कार्यकालों में भी नियुक्त किया गया होता और यह कार्रवाई विधिक दृष्टि में दोषपूर्ण है। वह आगे तर्क व्यक्त किया है कि भविष्य में भी शासन के समक्ष ऐसी आवश्यकताएं उद्भूत हो सकती हैं और इस याचिकाकर्ता के प्रकरण पर कलेक्टर/निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गई टिप्पणियों कि चूंकि वर्ष 1995 में सहायक ग्रेड–III (निम्न श्रेणी लिपिक) के रूप में उसकी नियुक्ति विधिसम्मत नहीं थी, के आधार पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा अर्जित कार्य अनुभव पर भी विचार नहीं किया जाएगा और यदि भविष्य में अस्थायी नियोजन इन्हीं मानदंडों पर दिए जाने हैं तो उसे आगे के लिए भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। उनकी प्रार्थना है कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किए गए अवलोकन के उक्त हिस्से को रद्द कर दिया जाए, जिसमें यह टिप्पणी की गई है कि वर्ष 1995 के उसके कार्य अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा।

किसी विशेष पद पर रहे किसी व्यक्ति के अनुभव का लाभ लेना और उक्त पद पर उसकी नियुक्ति की प्रकृति, दो भिन्न – भिन्न तथ्य हैं। इन्हें एक दूसरे से इस प्रकार सह–संबंधित नहीं किया जा सकता कि इनकी परस्पर विधिमान्यता और महत्ता नष्ट हो जाए। यह सामान्य ज्ञान की बात है कि एक व्यक्ति जिसे भले ही विधिमान्य रीती से नियुक्त नहीं किया गया है, परंतु जिसने किसी विशेष पद पर रुचि, सावधानी और समर्पण के साथ काम किया है, उसे भी उस पद का अनुभव मिलेगा, यद्यपि उसकी नियुक्ति तकनीकी रूप से अवैध थी। अनुभव एक प्रकार की संपत्ति है जो एक व्यक्ति को बार–बार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

/निरंतर अभ्यास से प्राप्त होती है जो वह किसी विशेष कार्य को सौंपे जाने के दौरान अर्जित करता है, यह चीजों को व्यावहारिक रूप से करके और देखकर ज्ञान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है और इसका उक्त कार्य के लिए उसकी नियुक्ति की वैधता के साथ कोई संबंध नहीं है और नियुक्ति में प्रक्रियात्मक अवैधता के आधार पर, उसकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है, परंतु यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने उक्त कार्य का अनुभव प्राप्त नहीं किया है, जब यह स्वीकार किया गया है कि उसने उस पद विशेष, जिसके लिए शुरुआत में नियुक्ति की गई थी, पर काम किया है।

उपर्युक्त कथित कारणों से, इस याचिका का इस निर्धारण के साथ निराकृत करना न्यायसंगत और उचित होगा कि यदि भविष्य में ऐसी आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो याचिकाकर्ता के अनुभव, जो उसने वर्ष 1995 में सहायक ग्रेड–III (निम्न श्रेणी लिपिक) के रूप में काम करते समय अर्जित किया था, को ध्यान में रखा जाएगा और उसके प्रकरण को उक्त पद पर उपरोक्त अवधि के उसके पिछले अनुभव पर विचार नहीं करके ध्यान में नहीं रखा जाएगा, और मैं तदनुसार निर्देशित करता हूं।

यह याचिका अंततः उपर्युक्त निर्देशों/टिप्पणियों के साथ निराकृत की जाती है।

नियमानुसार प्रमाणित प्रति प्रदान की जाये।

सही/-
**सुनील कुमार सिन्हा**
**न्यायाधीश**

राव

====0000====

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)**

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप**

ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur